

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 299 / 19-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रंजीत नगडुवार

उषा केरकेट्टा

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
17.03.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक रंजीत नगडुवार पिता स्व० लोहरा नगडुवार ग्राम-कुलहुट्टू, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने उषा केरकेट्टा पति नन्दु केरकेट्टा ग्राम-सिलापाट, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="263 705 1396 840"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>काटमकुकु</td> <td>158</td> <td>03</td> <td>87</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 0158796740 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 123 दिनांक 03.02.20 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं० 967/931 दिनांक 20.07.17 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम किरशय मुण्डा वगौह हैं। पंजी II के अनुसार रंजीत नगडुवार नाम भूमि का रकबा 0.74 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 0.74 एकड़ भूमि है जिसमें से 0.15 एकड़ भूमि की बिक्री करना चाहते हैं। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00 (बीस हजार छः सौ आठ)रु० प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 0.59 एकड़ रह जाती है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूर्इहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रंजीत नगडुवार पिता स्व० लोहरा नगडुवार को उषा केरकेट्टा पति नन्दु केरकेट्टा के साथ ग्राम काटमकुकु के खाता सं० 03 खेसरा संख्या 87 कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00 (बीस हजार छः सौ आठ)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">3/3/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;">3/3/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	काटमकुकु	158	03	87	0.15	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
काटमकुकु	158	03	87	0.15								